चीन लोक गणराज्य के जल संसाधन मंत्रालय
और
भारत गणराज्य के जल संसाधन मंत्रालय
के बीच
भारत को चीन द्वारा बाढ़ के मौसम
में
यालूजांग्बू/ब्रह्मपुत्र नदी की जल-विज्ञान
संबंधी
सूचना के प्रावधान पर समझौता ज्ञापन

.....

चीन लोक गणराज्य के जल संसाधन मंत्रालय और भारत गणराज्य के जल संसाधन मंत्रालय (जिन्हें इसमें इसके बाद "दोनो पक्ष" कहा गया है) ने परस्पर बातचीत की है और इस पर सहमत हुए हैं कि चीन यालूजांग्बू/ब्रह्मपुत्र नदी के अनुप्रवाह में बाढ़ नियन्त्रण और विपदा को कम किए जाने की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भारत को यालूजांग्बू नदी के प्रति-प्रवाह में जल-विज्ञान संबंधी सूचना सेवा प्रदान करेगा। दोनों पक्ष नीचे दिए अनुसार सहमत हुए हैं :-

1. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि मित्रतापूर्ण सहयोग, परस्पर लाभ, सद्भावना और समानता के आधार पर चीनी पक्ष वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अनुसार भारतीय पक्ष को बाढ़ के मौसम में यालूजांग्बू/ब्रह्मपुत्र नदी की जल-विज्ञान संबंधी सूचना उपलब्ध कराएगा।

2. यालूजांग्बू नदी की मुख्य-धारा पर स्थित चीन के तीन जल-विज्ञान संबंधी केन्द्र न्यूगेशा (पूर्वी रेखांश 89 42, उत्तरी अक्षांश 29 21), यांगचुन (पूर्वी रेखांश 91 52, उत्तरी अक्षांश 29 16) और नक्सिया (पूर्वी रेखांश 94 34 उत्तरी अक्षांश 29 28) हैं जो भारत को बाढ़ नियन्त्रण में जल विज्ञान संबंधी सूचना प्रदान करेंगे।

3. चीनी पक्ष इस बात पर सहमत है कि चीन भारत को बाढ़ मौसम में जल-विज्ञान संबंधी सूचना के प्रावधान की क्रियान्वयन योजना पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद अनुच्छेद-दो में दिए अनुसार उपरोक्त केन्द्रों के संबंध में प्रत्येक वर्ष 1 जून से 15 अक्तूबर तक दिन में दो बार 8.00 बजे और 20.00 बजे के पानी के स्तर, निस्सरण और बरसात की सूचना देगा। चीनी पक्ष बाढ़-इतर मौसम में परस्पर सहमत स्तरों से अधिक स्तर पर जल पहुंच जाने की परिस्थिति में जल-विज्ञान संबंधी सूचना देने पर भी सहमत हुआ है।

4. दोनो पक्ष इस पर आने वाली लागत का पता लगाने और कार्य कार्यान्वयन योजना में होने वाले व्यय को विभाजित करने के लिए रूप-रेखाओं पर बातचीत करने के लिए सहमत हुए।

5. चीनी पक्ष सह-सम्बन्ध घुमावों के विकास के लिए उपरोक्त अनुच्छेद-दो में निर्दिष्टानुसार तीन केन्द्रों के संबंध में बाढ़ मौसम के दौरान पूर्व वर्षों (10 वर्ष) के पानी के स्तर, निस्सरण और बरसात के आंकड़े उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ है ।

6. चीनी पक्ष यालुज़ांग्पू नदी के आवाह-क्षेत्र और बाढ़ और प्राकृतिक विपदा से संबद्ध ऐतिहासिक सूचना संबंधी दस्तावेज प्रदान करने पर सहमत हुआ है ।

7. चीनी पक्ष जल-विज्ञान संबंधी सूचना के प्रावधान की क्रियान्वयन योजना पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद पानी के स्तर/निस्सरण में किसी असामान्य वृद्धि/कमी से संबंधित जानकारी और ऐसी अन्य सूचना देने पर सहमत है जिससे वास्तविक समय आधार पर मौजूदा मानीटरिंग और आंकड़ा संचय सुविधाओं के आधार पर अचानक बाढ़ आ सकती है ।

8. चीनी पक्ष द्वारा भविष्य में पालोंग्ज़ांग्बू और लांग्किंजाग्बू नदी पर और जल-विज्ञान संबंधी केन्द्र बना लिए जाने के बाद दोनों पक्ष चीन द्वारा भारत को बाढ़ मौसम के दौरान जल-विज्ञान संबंधी सूचना देने की संभावना पर विचार करना जारी रखेंगे ।

9. चीनी पक्ष की ओर से क्रियान्वयन एजेन्सी जल-विज्ञान और जल-संसाधन, चीन का स्वायत्तशासी क्षेत्र तिब्बत और भारतीय पक्ष की ओर से क्रियान्वयन एजेन्सी केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, भारत है ।

10. क्रियान्वयन एजेन्सियां जल-विज्ञान संबंधी सूचना के प्रावधान की क्रियान्वयन योजना पर चर्चा करेंगी और उन्हें अन्तिम रूप देंगी । क्रियान्वयन योजना के प्रमुख विषय में जल-विज्ञान संबंधी सूचना, आंकड़ा ट्रांसमिशन पद्धति, लागत निर्णय और अन्य प्रकार के प्रावधान का तकनीकी ब्यौरा शामिल है ।

11. समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद क्रियान्वयन योजना को अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

12. यह समझौता-ज्ञापन दोनों पक्षों के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस पर हस्ताक्षर होने के दिन से प्रभावी हो जाएगा और पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा और उसके बाद परस्पर सहमति से और अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा । इस समझौता-ज्ञापन को परस्पर सहमति से संशोधित और परिशोधित किया जा सकता है ।

13. किसी भी पक्ष को समझौता-ज्ञापन की समाप्ति से पूर्व समझौता-ज्ञापन को समाप्त करने का अधिकार है । यह समझौता-ज्ञापन एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस दिए जाने के बाद नब्बेवें दिन समाप्त हो जाएगा ।

नई दिल्ली में आज ईसवी सन् दो हजार दो के जनवरी माह के चौदहवें दिन चीनी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में सम्पन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं।

王毅

चीन लोक गणराज्य की
सरकार के जल-संसाधन मंत्रालय
की ओर से

14/1/2002

भारत गणराज्य की
सरकार के जल-संसाधन मंत्रालय
की ओर से